न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1808/2003/चित्तोडगढ

1–मांगीलाल पुत्र मनोहरलाल (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1–छाउबाई बेवा मांगीलाल
1/2–शिव नरेश शर्मा पुत्र मांगीलाल
1/3–बंशीलाल शर्मा पुत्र मांगीलाल
1/4–बाबूलाल शर्मा पुत्र मांगीलाल
1/5–मदनलाल शर्मा पुत्र मांगीलाल
2–उॅकार पुत्र मदनलाल
3–भगवतीलाल पुत्र मदनलाल
4–बंशीलाल पुत्र मदन लाल
5–मनोहरलाल पुत्र मोहनलाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ध्नेतकला तहसील वजिला चित्तोडगढ।

बनाम

धन्ना पुत्र चेना मृतक जरिये वारिसानः–
श्यामलाल पुत्र धन्ना चमार निवासी ग्राम धनेतकलां तहसील व जिला चित्तोडगढ ------ रेस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री पूर्णा शंकर दशोरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
(2) श्री वैभव कृष्ण पारीक रैस्पोडेंटस की ओर से(जरिये ब्रीफ होल्डर)

निर्णय

दिनांक : 1.06.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांटस/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का विरुद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी चित्तोडगढ के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम धनेतकला, तहसील चित्तोडगढ में स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 374, 661, 662 व 663 जिसके नये खसरा नंबर 727, 728, 790,791,789 व 788 में से 727,728,790 व

अपील/डिक्री/टीए/1808/2003/चित्तोडगढ

791 राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या एक मांगीलाल व प्रतिवादी धन्ना के नाम बराबर अंकित होकर उक्त भूमि तन्हा रुप से वादी मागीलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादी का कभी भी उक्त आराजी पर कब्जा नही रहा। रिकार्ड में उसका नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 788 राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 से 4 व प्रतिवादी के नाम अंकित है परन्तु उक्त आराजी से भी प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नही है एवं खसरा नम्बर 789 वादी संख्या 5 मनोहरलाल के तन्हा खातेदारी का है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत तौर पर वादी संख्या 5 मनोहरलाल के साथ भी प्रतिवादी का नाम अंकित कर दिया गया है। इस भूमि से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है। अतः वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज दुरस्ती किये जाने की डिक्री दिये जाने का निवेदन किया गया।

3— दावा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपना इकबाली जबाव दावा पेश कर वादी का वाद डिक्री करने में अपनी सहमति प्रकट की। इसके बाद विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20—11—2001 के द्वारा दावा खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोडगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर विद्वान प्रथम अपील अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31—3—03 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर हस्तगत द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4— दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील अन्तिम बहस सुनी गयी।

5— विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना वाद बिन्दुओं का निर्माण किये सरसरी तौर पर बिना प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत का अवलोकन किये वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करने एवं अपील अधिकारी ने उक्त अवैध निर्णय व डिक्री को यथावत रखने की कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि जो दावा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरुद्ध पेश किया था उसमें राज्य सरकार के विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही थी जब राज्य सरकार से कोई रिलीफ नही चाही गयी है तो उसको पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नही थी फिर भी दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी धन्ना विवादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार विक्रय पत्र के आधार पर बने है तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16—8—73 को मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग चित्तौडगढ ने अपने आदेश दिनाक 5—9—83 के द्वारा निरस्त कर दिया इसलिए प्रतिवादी धन्ना का रिकार्ड में अंकन किया गया है उसका कोई आधार ही नही रहा है फिर भी जो निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित किये है वह अवैध

होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अभिभाषक अपीलांट का यह भी कथन है कि अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आदेश 41नियम 27 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के साथ विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के मूल खातेदारान द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र जिसको न्यायालय ने रिकार्ड पर स्वीकार किया फिर भी उक्त रजि0दस्तावेज को दर किनार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वादको डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

6— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का तर्क है कि रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति का अनपढ व्यक्ति है। रेस्पोडेंट के कब्जे की भूमि वादीगण ने कभी क्रय नही की जिससे उन्हें अपना नाम दर्ज कराने का हकव अधिकार नही है। चूकि प्रकरण में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होता है जिसे उन्हे दावे में पक्षकार नही बनाया है। प्रकरण में धारा 42 बी के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन होने से ही दोनो अधीनस्थ न्यायालय ने वाद व अपील को निरस्त किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में इकबाली जबाव पेश करने पर भी वादीगण का वाद डिक्री नही किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होने यह भी बताया कि धन्ना के पक्ष में हुए विक्रय पत्र को निरस्त भी माना जावे तो भी उससे वादीगण/अपीलांट को कोई स्वत्व प्राप्त नही होता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 387 को उद्धरित किया। आगे बताया कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है समवर्ती निर्णयों में इस द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जना उचित नही है। अन्त में अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

7— हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

8— पत्रावली के गहन अध्ययन व अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में वाद इन कथनों के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी में जो 1/2 हक प्रतिवादी धन्ना के नाम पर दर्ज है वह गलत है क्योकि धन्ना के हक में किया गया विक्रय पत्र सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 16—8—73 को खारिज कर दिया गया है लेकिन इस विक्रय पत्र की प्रतिलिपि पेश नही की गयी है एवं जो निर्णय पेश हुआ है उसमें खसरा नम्बर का अंकन नही है जिससे वादीगण के वाद की पुष्टि नही होती है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा अपीलांट व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट धन्ना चमार के नाम दर्ज है जिससे अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत अनुचित है। चूॅकि प्रकरण धारा 42 बी व 183 बी से प्रभावित है इसलिये भूमिधारी तहसीलदार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हो जाता है ,जिसे दावे में पक्षकार नही बनाया गया है। इसके अलावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अनुसूचित जाति के

व्यक्ति की भूमि पर किसी सवर्ण व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही किये जा सकते है जैसा कि 2011 आरआरडी पेज 387 फुल बैंच में प्रतिपादित किया गया है। वादीगण/अपीलांट की ओर से अपने दावे को किसी भी आधार दस्तावेज से प्रमाणित नही कराया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादीगण/ अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर व विद्वान अपील अधिकारी ने वादीगण/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निर्णय है, समवर्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय हित में उचित नही समझते हैं। फलस्वरुप यह द्वितीय अपील आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—11—2001 एवं राजस्व अपील अधिकारी चित्तोडगढ द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 31—3—03 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष